पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

कार्यालय– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/ F-5/5473 भोपाल, दिनांक 5-12-2012

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश ।

विषय :– वन अपराधों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही एवं जारी किये जाने वाले आदेशों के संबंध में निर्देश ।

भारतीय वन अधिनियम, 1927, मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम,1969 , मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 ,वन्य प्राणी संरक्षण 'अधिनियम, 1972 इत्यादि वन अधिनियमों में अवैध 'कटाई, अवैध उत्खनन, शिकार, अतिकमण, इत्यादि को रोकने के लिये अपराध दर्ज करने, वाहनों को राजसात करने, प्रकरणों के प्रशमन करने के अधिकार वन अधिकारियों को दिये गये हैं । इसी प्रकार म0प्र0काष्ठ चिरान (विनियगन) अधिनियम, 1984 के तहत आरा मिलों की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण, स्थानान्तरण, नामांतरण आदि के प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु वैधानिक अधिकार दिये गये हैं ।

उपरोक्त अधिनियमों में कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि किस प्रकरण में किस प्रकार की कार्यवाही की जाकर कैसे आदेश जारी किये जाना है । परन्तु कुछ वृत्तो/वनमण्डलों में जारी किये गए आदेशों के परीक्षण में यह पाया गया कि बिना कोई विवरणात्मक आदेश (स्पीकिगं आर्डर) पारित किये वाहनों को मुक्त किया गया है । अगर कोई वाहन जप्त होता है तो उसके निराकरण कैं संबंध में जो भी निर्णय हो चाहें वाहन राजसात किया जाये, वाहन मुक्त किया जाये या अभिसंधान के जरिये मुक्त किया जाय, उसका विवरणात्मक आदेश जारी किया जाना चाहिये । इसी प्रकार अन्य वन अपराध प्रकरणो के संबंध में पूरा विवरण देते हुये ही स्पीकिगं आर्डर पारित करना चाहिये ताकि प्रकरण अपील में या मान0 न्यायालय में स्पीकिंग आर्डर न होने से निरस्त होने की संभावना न रहे। अर्ध न्यायिक प्रकरणों में अत्यधिक सावधानी से प्रकरणों / अपीलों का निराकरण करना चाहिये । कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन करें । इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिये।

(P.T.O.)

इस संबंध में अगर आवश्यकता हो तो अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलावें । यह भी उचित होगा कि अपने अधिनस्थों को वन अधिनियमों में एवं वन से संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त अधिकारों के संबंध में सभी धाराओं के संबंध में जानकारी देने के लिये छोटी–छोटी बुकलेट्स प्रदाय की जायं ताकि क्षेत्रीय कर्मचारीं वन अपराधों से संबंधित सभी प्रकरणों में सही प्रकार की धाराऐं लगावें।

(टी0आर0शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश,भोपाल

पृ0कमॉक/विविध/5474 /भोपाल : दिनाक-05-12-2012

प्रतिलिपि :-- समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश,भोपाल